न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 12012 निगरानी

१- सावित्री पत्नी मिथिलाराम,
२- अंजनी तनय श्री मिथिलाराम,
३- गणेश तनय श्री मिथिलाराम,
४- सत्यवती पत्नी श्री राजमणि,
५- रामायण तनय श्री वलसिंगारराम,
६- श्रीमती सुशीला पत्नी स्व० श्री राममुवनराम,
७- कृष्ण कुमार तिवारी तनय स्व० श्री राममुवनराम
८- पवन कुमार तिवारी तनय स्व० श्री राममुवनराम नावालिग एंव संरक्षिका मां श्रीमती सुशीला,
९- प्रवीण कुमार तयन स्व० श्री राममुवन राम, नावालिग संरक्षिका मां श्रीमती सुशीला,
१०- रामयश तनय श्री वलसिंगार राम,
सभी निवासीगण खजुरी थाना-सीमा तेहसील गोपदवनास, जिला सीधी (म०प्र०)
----प्रार्थीगण

विरुध्द

१- अरुण कुमार त्रिपाठी तनय श्री उमाशंकर, त्रिपाठी,
२- ओमप्रकाश त्रिपाठी तनय श्री उमाशंकर त्रिपाठी
३- आदित्यनारायण त्रिपाठी तनय श्री उमाशंकर त्रिपाठी,
४- आनन्द कुमार त्रिपाठी तनय श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी,
५- अजीत कुमार त्रिपाठी तनय श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी,
६- कृष्ण कुमार तनय अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी,
७- मधुनी वेवा पत्नी श्री राम रखवारेराम,

क्रमशः--२

८- गंगा तनय तीरथ राम,
सभी निवासीगण ग्राम खजुरी, थाना सीधी,
तह० गोपदबनास, जिला सीधी (म०प्र०) ।

९- मध्यप्रदेश शासन

------ प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरूध्द आदेश कलेक्टर महोदय, सीधी दिनांकी ६-१०-१२, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९, प्र०क्र० ११।११-१२ निगरानी ।

श्री मान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अपर कलेक्टर महोदय एंव अनुविभागीय अधिकारी महोदय की आज्ञाएँ कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ अपीलीय एंव निगरानी न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, अभिलेख से यह तथ्य स्पष्ट है कि एस०डी०ओ० महोदय के न्यायालय में अपील प्रकरण के लिये नियत सुनवाई के दिनांक ७-९-११ को प्रतिप्रार्थीगण जो एस०डी०ओ० महोदय के न्या... में अपीलान्टस् थे, की ओर से कोई भी उपस्थित न था... प्रार्थीगण जो कि एस०डी०ओ० महोदय के न्यायालय मे... थे, की ओर से अभिभाषक महोदय उपस्थित थे, इस कारण अपील प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । जब प्रार्थ... की उपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया था, तब बिना उन्हें सुनवाई का अवसर दिये प्रकरण को पु... नहीं किया जा सकता ।

४- यह कि, अभिलेख से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रकरण को...

(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/3885/I/12, सावित्री / अरण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
8/11/19	आवेदक की ओर से श्री एस. के. अवस्थी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 11/निग/11-12 में पारित आदेश दिनांक 06/10/12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 23/1/19 को संभागीय आयुक्त रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य	